न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 24/2017
निर्णय दिनांक : 03.04.2019

उनवान

1. लालाराम पुत्र श्री मन्नालाल बागडा जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बंशी प्रसाद पुत्र श्री मन्नालाल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत. दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर। हाल निवासी प्लाट 48 कमला नगर चारडिया पेट्रोलपम्प की पीछे सांगानेर जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र स्व भगवान सहाय जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती धापू देवी पत्नी स्वी श्री स्व भगवान सहाय जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. राज्य संरकार, जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर पता नगर निगम रोड सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 6.09 हैक्टेयर ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी संख्या एक का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन के मध्य समाज के पंच पटेलों के मध्य आपसी सहमति से लिखित बटवारा हुआ था तथा उसी के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत तीन अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं परन्तु वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा करवाये बिना वादग्रस्त भूमि को दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने और आवासीय व्यवासिक गैर कृषि निर्माण करने पर, बोंरिग करने के लिए आमाद हैं व बार बार कौशिश करते रहते हैं जिसका उन्है कोई अधिकार नही है। दिनांक 20.04.2017 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन व उनके प्रतिनिधी कुछ व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये और विक्रय बाबत बातचीत करने लगे इस पर वादी ने

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन से कहा कि आप वादग्रस्त भूमि का पहले विधिवत बंटवारा करवा लो इस पर प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन वादी के द्वारा बंटवारा करवाने से मना कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि हम बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भाग का विक्रय कर देगे और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य करेगें। इस कारण वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अगर प्रतीवादी संख्या एक तीन द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग का विक्रय कर दिया जाता हैं और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा करना मुश्किल व असम्भव हो जायेगा। वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादी के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते बनाये जाये व उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे। भूमि का विधिवत बटवारा न होने तक वादग्रस्त भूमि को किसी भी दिगर व्यक्ति, सोसायटी, संस्था आदि को विक्रय/हस्तान्तरण न करें ना करावे तथा वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में बाधा कारित न करें ना करावें और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे। तथा प्रतिवादी संख्या चार को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रतिवादी संख्या पांच को वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र या हस्तान्तरण विलेख किसी दिगर व्यक्ति के नाम तस्दीक नही करेंने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या आठ राजस्थान सरकार वादग्रस्त भूमि का भू–धारक है और वाद तकासमा में आवश्यक पक्षकार है इसलिये उसे पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.05.2018 को वकील वादी श्री सुरेश कुमार शर्मा उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री प्रकाश तिवाडी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवदी संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुये। दिनांक 04.10.2017 को वकील वादी उपस्थित हुये। वकील वादी ने निवेदन किया कि पत्रावली जवाब में लम्बे समय से लम्बित है, जवाब का अवसर बंद किया जाने का निवेदन किया। दिनांक 04.10.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 03.08.2018 को पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से श्री पुष्पेन्द्र राजावत ने वकालतनमा पेश कर वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने की सहमतिदी गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहस सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर दिनांक 03.08.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। अतः दिनांक 03.08.2018 को डिक्री जारी कर विवादित आराजीयात को कब्जे काश्त एवं मीट्स एण्ड बाउन्डस व मौके व हिस्सेनुसार विधिक विभाजन कर अलग–अलग खाता व दर हिस्सा व लगान का निर्धारण कर तहसीलदार सांगानेर को कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में दिनांक 24.08.2018 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/डिक्री/2019/649 दिनांक 26/02/2019 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे के भिजवायी गयी जो शामिल मिसल की गयी। कुरेजात रिपार्ट पर वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस कुरेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 6.09 हैक्टेयर ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	235 236 मि0 246 मि0 247 248 251 मि0 252 मि0	0.40 0.17 0.12 0.32 0.76 0.24 0.02	चाही 3 चाही 3 चाही 3 चा 3 चाही 3 0.61 जाव 3 0.15 चाही 3 0.16 जाव 3 0.08 बा. 2	35.17	हरा	बाबूलाल पुत्र भगवानसहाय व श्रीमती धापूदेवी पत्नी स्व0 श्री भगवानसहाय जाति बागड़ा ब्रा0 सा0 देह
योग	किता 7	2.03	चाही3/1.78 जा.3/0.23 बा. 2/0.02	35.17		
2	99 236 मि0 246 मि0 251 मि0 253 254 मि0 255 मि0	1.13 0.23 0.35 0.04 0.21 0.04 0.01	चाही 3 0.38 जाव 3 0.75 चाही 3 चाही 3 जाव 3 जाव 3 0.08 चाही 3 0.13 जाव 3 जाव 3	28.67	गुलाबी	बंशीप्रसाद पुत्र मन्नालाल जाति बागड़ा निवासी 48 कमला नगर चोरड़िया पेट्रोल पम्प के पास सांगानेर
योग	किता 7	2.01	चाही3/1.09 जाव/ 0.92	28.67		

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	237 238 244 245 251 मि0 252 मि0 254 मि0	0.02 0.39 0.34 0.10 0.11 0.09 0.39	गै0मु0 चाह चाही 3 चाही 3 चाही 3 जा. 3 बा. 2 चाही 3 0.37	31.99	पीला	लालाराम पुत्र मन्नालाल जाति बागड़ा ब्राहम्ण सा0 देह

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

	255 मि0 256	0.25 0.32	जाव 3 0.02 जाव 3 0.14 चाही 3 0.11 चाही 3 0.19 जाव 3 0.13			
योग	कुल किता 9	2.01	चाही 3/ 1.50 जा.3 /0.40 बा.2 /0.09 गै0मु0/0.02	31.99		
2	254 मि0	0.04	जाव 3	0.37	मटमेला	बंशीलाल लालाराम पि0 मन्नालाल जाति बागड़ा ब्राहम्ण
योग	कुल किता 1	0.04	जाव 3 – 0.04	0.37		

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **03.04.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी**, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास **घनश्याम शर्मा**, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 24 / 2017

उनवान

1. लालाराम पुत्र श्री मन्नालाल बागडा जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बंशी प्रसाद पुत्र श्री मन्नालाल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर। हाल निवासी प्लाट 48 कमला नगर चारडिया पेट्रोलपम्प की पीछे सांगानेर जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र स्व भगवान सहाय जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती धापू देवी पत्नी स्वी श्री स्व भगवान सहाय जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर पता नगर निगम रोड सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 6.09 हैक्टेयर ग्राम रामसिंहपुरा वाटिका, पंचायत दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	235 236 मि0 246 मि0 247 248	0.40 0.17 0.12 0.32 0.76	चाही 3 चाही 3 चाही 3 चा 3 चाही 3 0.61 जाव 3 0.15	35.17	हरा	बाबूलाल पुत्र भगवानसहाय व श्रीमती धापूदेवी पत्नी स्व0 श्री भगवानसहाय जाति बागड़ा ब्रा0 सा0 देह

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

	251 मि0 252 मि0	0.24 0.02	चाही 3 0.16 जाव 3 0.08 बा. 2			
योग	किता 7	2.03	चाही3/1.78 जा.3/0.23 बा. 2/0.02	35.17		
2	99 236 मि0 246 मि0 251 मि0 253 254 मि0 255 मि0	1.13 0.23 0.35 0.04 0.21 0.04 0.01	चाही 3 0.38 जाव 3 0.75 चाही 3 चाही 3 जाव 3 जाव 3 0.08 चाही 3 0.13 जाव 3 जाव 3	28.67	गुलाबी	बंशीप्रसाद पुत्र मन्नालाल जाति बागड़ा निवासी 48 कमला नगर चोरड़िया पेट्रोल पम्प के पास सांगानेर
योग	किता 7	2.01	चाही3/1.09 जाव/ 0.92	28.67		

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	237 238 244 245 251 मि0 252 मि0 254 मि0 255 मि0 256	0.02 0.39 0.34 0.10 0.11 0.09 0.39 0.25 0.32	गै0मु0 चाह चाही 3 चाही 3 चाही 3 जा. 3 बा. 2 चाही 3 0.37 जाव 3 0.02 जाव 3 0.14 चाही 3 0.11 चाही 3 0.19 जाव 3 0.13	31.99	पीला	लालाराम पुत्र मन्नालाल जाति बागड़ा ब्राहम्ण सा0 देह
योग	कुल किता 9	2.01	चाही 3/ 1.50 जा.3 /0.40 बा.2 /0.09 गै0मु0/0.02	31.99		
2	254 मि0	0.04	जाव 3	0.37	मटमेला	बंशीलाल लालाराम पि0 मन्नालाल जाति बागड़ा ब्राहम्ण
योग	कुल किता 1	0.04	जाव 3 – 0.04	0.37		

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.04.2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)